राज्य सलाहकार समिति की बैठक

दिनांक 07.10.2017

कार्यवाही विवरण

गर्भधारा पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 07.10.2017 को (दोपहर 3:00 बजे) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश, के चुतर्थ तल में डॉ.मीनाक्षी पटेल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषग्य, जय प्रकाश चिकित्सालय, भोपाल (म.प्र), की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई |

बैठक में निम्नलिखित राज्य सलाहकार समिति के सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती अर्चना सहाय, संचालक, चाइल्ड लाइन, भोपाल (म.प्र) |
2. श्रीमती प्रार्थना मिश्रा, संगिनी संस्थान, भोपाल (म.प्र) |
3. श्रीमती सुनीता दुबे, सहायक संचालक, जन संपर्क विभाग, भोपाल (म.प्र) |

इसके अतिरिक्त बैठक में निम्नानुसार विशेष आमंत्रित सदस्य सम्मिलित हुए:-

1. डॉ. बी.एन.चौहान, संचालक, एन.एच.एम एवं अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एक्ट, भोपाल (म.प्र) |
2. डॉ वीणा सिन्हा, उप संचालक एवं राज्य नोडल अधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एक्ट, भोपाल (म.प्र)|
3. डॉ निधि पटेल, उप संचालक, आ.ई.सी. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए, भोपाल (म.प्र) |
4. श्रीमती स्वाती बी सिंह, राज्य सलाहकार, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एक्ट, भोपाल (म.प्र) |

1. राज्य सलाहकार समिति की बैठक में पूर्व में हुई बैठक दिनांक 10.04.2017 के पालन प्रतिवेदन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी एवं अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु बिन्दुवार अभिमत दिया गया:-

1.1. पूर्व की बैठक में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 2014 के सम्बन्ध में राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट निर्देश लिए जाने हेतु अभिमत दिया गया था | इस सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया गया की राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड की बैठक दिनांक 30.01.2017 में अध्यक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपेक्ष्य में अग्रिम न्यायायिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया कि पूर्व में छह माह के प्रशिक्षण/एक साल के अनुभव के आधार पर पंजकृत केन्द्रों का पंजीयन सक्षमता आधारित परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने तक वैध माना जायेगा | इसके अतिरिक्त कोई भी नवीन पंजीयन नहीं दिया जायेगा | निर्देशों के परिपालन में सक्षमता आधारित परीक्षा का आयोजन दिनांक 05.08.2017 को अधिसूचित किया गया | माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित अधिसूचना पर स्थगन आदेश दिया गया है | अग्रिम कार्यवाही हेतु संचालक (पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी), भारत सरकार को पत्र लिखा गया है|

1.2. पूर्व की बैठक में समिति द्वारा जिला निरीक्षण दल के अशासकीय सदस्यों के TA/DA के समबन्ध में राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एक्ट द्वारा निर्णय लिए जाने हेतु अभिमत दिया गया था | इस सम्बन्ध में समिति द्वारा राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड की अग्रिम बैठक में जिला

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के अशासकीय सदस्यों हेतु TA/DA के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त किये जाने का अभिमत दिया गया |

1.3. पूर्व की बैठक में हमारी बिटिया अभियान के अंतर्गत प्रावधानित संख्या से कम निरीक्षणों पर चिंता व्यक्त करते हुए इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर/जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी को आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु कराये जाने हेतु पत्र लिखे जाने का अभिमत दिया गया था | इस सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड की बैठक दिनांक 30.01.2017 में अध्यक्ष द्वारा माननीय निर्देशित किया गया कि समस्त केन्द्रों का निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार निरीक्षण किया जाए | इसके अतिरिक्त प्रथम त्रेमास में वह केंद्र जिनका निरीक्षण पूर्व में एक बार भी नहीं किया गया हो, उनका अनिवार्यतः निरीक्षण किया जाए |

1.4. पूर्व की बैठक में राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों को सतना जिले में लम्बित न्यायायिक प्रकरण की अध्यतन स्थिति से अवगत कराया गया | राज्य स्तर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र के संचालक को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया है | समिति के सदस्यों द्वारा केंद्र के संचालक के विरुद्ध राज्य मेडिकल काउंसिल से पंजीयन निरस्त किसी जाने की कार्यवाही की जानी है | न्यायायिक प्रकरण के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर/ जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी से जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु पुनः अभिमत दिया गया |

1.5. राष्ट्रीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एक्ट, के देवास एवं भोपाल भ्रमण (दिनांक 23 एवं 24 अप्रैल 2017) के सम्बन्ध में चर्चा की गयी | निरीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त होने की स्थिति में समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही अधिकारित रिपोर्ट प्राप्त होने की स्थिति में किया जाना उचित बताया गया था | इस सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय निरीक्षण पर्यवेक्षण दल से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गयी है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट की प्रति जिलों को प्रेषित की गयी है |

1.6. समिति के सदस्यों द्वारा ग्वालियर जिले में किये गए स्टिंग ऑपरेशन की सराहना की गयी एवं इस कार्यवाही की प्रचार प्रसार किये जाने का अभिमत दिया गया | इस सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य एवं जिला स्तर पर decoy/स्टिंग ऑपरेशन के सम्बन्ध में आ.ई.सी गतिविधियाँ प्रस्तावित की गयी है |

1.7. जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एक्ट, द्वारा पुरस्कार हेतु प्राप्त अभिमत को मान्य किया गया एवं राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक में निर्णय लिए जाने हेतु अभिमत दिया गया था | आज दिनांक तक अभिमत अप्राप्त होने के कारण कार्यवाही लम्बित है | इस सम्बन्ध में समिति के सदस्यों द्वारा पुनः जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी, जिला भिंड को पत्र लिखे जाने हेतु अभिमत दिया गया | पत्र की प्रतिलिपि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिला भिंड के पुलिस महाअधिक्षक को दिए जाने हेतु भी अभिमत दिया गया |

1.8. समिति के सदस्यों द्वारा गिरते हुए शिशु लिंगानुपात के कारणों एवं दुषपरिणामों के सम्बन्ध में सतत् I.EC किये जाने पर जोर दिया गया | इस हेतु समुचित एजेंसी का चिन्हांकन पर स्कूल/कॉलेज में युवा पीढ़ी का संवेदीकरण किये जाने पर बल दिया गया | इसके अतिरिक्त राज्य के Adolescent Health कार्यक्रम में भी इस विषय में काम किये जाने का अभिमत दिया गया था | इस सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य एवं जिला स्तर विस्तृत आ.ई.सी गतिविधियाँ प्रस्तावित की गयी है |

<u>बैठक के एजेंडा बिन्दुओं पर निम्नानुसार अभिमत दिए गए:-</u>

1. पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी अधिनियम एवं नियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से प्राप्त दिशानिर्देशों के परिपालन पर चर्चा की गयी | नवीन पंजीयन, पंजीयन के नवीनीकरण, निलम्बन एवं निरस्तीकरण, search/seizure, decoy operation, शिकायतों का समयानुसार निराकरण, नरीक्षण एवं जिला सलाहकार समिति हेतु दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में जिला स्तर को पत्र लिखा जाना |
2. PCPNDT MIS के अम्ध्यम से पंजीयन के आवेदनों का नियमानुसार तय समयसीमा में निराकरण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया | इस सम्बन्ध में समिति द्वारा MIS में grievance redressal हेतु module विकसित किये जाने का अभिमत दिया गया | इसके अतिरिक्त पंजीयन के सम्बन्ध में अनावश्यक विलम्ब/निरस्तीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सुपरवाईजरी बोर्ड की अग्रिम बैठक में निर्देश प्राप्त किये जाने का अभिंत दिया गया |
3. राज्य स्तर पर प्राप्त अपील प्रकरणों के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारियों को पुनः पत्र लिखे जाने हेतु अभिमत दिया गया | इन पत्रों की प्रतिलिपि प्रमुखता से वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने का अभिमत दिया गया |

डॉ.मीनाक्षी पटेल
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषग्य
जय प्रकाश चिकित्सालय
भोपाल (म.प्र)